प्रेस नोट
*जनपद – संतकबीरनगर *
दिनाँक 08.08.2026

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्ता की गिरफ्तारी के क्रम में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 01. सूरजी पत्नी रामसेवक निवासी चनगहिया सरफरा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री कय्यूम अंसारी, हे0का0 मुरली मनोहर ,म0का0 पूजा वर्मा , म0का0 ललिता देवी , महिला पीआरडी मंजू सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 00 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 8292 द्वारा महिला कालर से मारपीट/विवाद में घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 8292 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत गगनईराव से कालर द्वारा महिला कालर से मारपीट/विवाद में घायल 01 महिला (01.शिवागी पुत्री राजू निवासी गगनईराव थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मापीट/विवाद में घायल महिला को सीएचसी मेंहदावल पहुँचाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर उक्त घायल महिला को ईलाज हेतु सीएचसी मेंहदावल भेजवाया गय, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 प्रवेश कुमार मौर्य, हो0गा0चा0 वसील अहमद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 70 वाहनों से 61,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 08.08.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 70 वाहनों से 61,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

*क्रैक साइबर क्राइम के तहत **साइबर ठगी के शिकार पीड़ित की ₹10,000/- की सम्पूर्ण धनराशि साइबर सेल थाना दुधारा पुलिस टीम ने 24 घंटे में कराई वापस***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संदीप कुमार मीना** के निर्देशन में **क्रैक साइबर क्राइम अभियान** के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर सेल थाना दुधारा पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए पीड़ित की **₹10,000/- की सम्पूर्ण धनराशि 24 घंटे के अन्दर वापस कराई गई।**

घटना का संक्षिप्त विवरण–
पीड़ित **श्री जसवन्त निवासी जातेडीहा, थाना दुधारा** द्वारा दिनांक 07.08.2026 को शिकायत दर्ज कराई गई कि फेसबुक पर मूवी देखने वाले एप का विज्ञापन देखकर एप डाउनलोड किया गया था। इसके बाद एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कॉल कर एप चलाने के नाम पर ओटीपी मांगा गया। ओटीपी बताए जाने के पश्चात खाते से **₹10,000/- की साइबर ठगी** कर ली गई।

शिकायत प्राप्त होते ही साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात **का0 अनुज कुमार** द्वारा तत्काल कार्रवाई एवं संबंधित बैंक से समन्वय कर **ठगी की सम्पूर्ण धनराशि ₹10,000/- पीड़ित के खाते में वापस करा दी गई।** पीड़ित द्वारा पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

साइबर सेल थाना दुधारा टीम– थानाध्यक्ष **श्री अमित कुशवाहा**, उ0नि0 **श्री अनिल मिश्रा (प्रभारी साइबर सेल)**, का0 अनुज कुमार, का0 ऋषिकेश यादव, रि0का0 हर्ष सिंह एवं म0रि0का0 एकता सिंह।

अपील– किसी अनजान व्यक्ति से OTP, PIN, पासवर्ड या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें। साइबर ठगी होने पर तत्काल **1930** पर कॉल करें अथवा **www.cybercrime.gov.in** पर शिकायत दर्ज करें।